Email: cswriavikanagar@yahoo.com
nwरभाष : 01437–220177 फैक्स नं. 91–01437–220163
भा.कृ.अ.प.–केन्द्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान
अविकानगर, तह0 मालपुरा, जिला–टोंक (राजस्थान) – 304501
ICAR-Central Sheep & Wool Research Institute
Avikanagar, Teh.Malpura, Dist.Tonk (Rajasthan) – 304501

Dated: 14-3-2018

NOTICE INVITING TENDER THROUGH E-PROCUREMENT

Online Bids are invited from the interested firms under two bid system for **Annual Maintenance Contract work for Air conditioner established** at **ICAR-CENTRAL SHEEP & WOOL RESEARCH INSTITUTE AVIKANAGAR, MALPURA ,DISTT. TONK , RAJASTHAN , PIN 304501 .**

Manual bids shall not be entertained.

Tender documents may be downloaded from e-Procurement website of CPP https://eprocure.gov.in/ and www.cswri.res.in as per the schedule as give in CRITICAL DATE SHEET as under:

CRITICAL DATE SHEET

Tender No.	SP/contract Proposal/2017-18/1
Date and Time for issue/Publishing	14-3-2018 at 3.00 PM
Document Download/Sale start date and time	15-3-2018 at 3.00 PM
Bid Submission Start Date and Time	15-3-2018at 3.00 PM
Bid Submission End Date and Time	02-4-2018 at 3.00 PM
Date and Time for Opening of Bids	03-4-2018 at 3.00 PM
Tender fee and Earnest money Security money	Tender fee – Rs.500/- Earnest money – Rs.10,000-00 Security money – 5 % of contract amount
Bank detail	ICAR UNIT -CSWRI ,Avikanagar payable State Bank of India, Branch – Malpura Tonk Rajasthan
Address for Communication	Administrative Officer, C.S.W.R.I., Avikanagar, Malpura, Distt. Tonk, Rajasthan Pin- 304501

Administrative Officer

INSTRUCTIONS FOR ONLINE BID SUBMISSION

1- The tender form/bidder documents may be downloaded from website: https://eprocure.gov.in. Online submission of Bids through Central Public Procurement Portal (https://eprocure.gov.in) is mandatory. **Manual/Offline bids shall not be accepted under any circumstances.**

2- Tenders/bidders are requested to visit website https://eprocure.gov.in regularly. Any changes/modifications in tender enquiry will be intimated by corrigendum through this website only.

3- In case, any holiday is declared by the Government on the day of opening, the tenders will be opened on the next working day at the same time. The Institute reserves the right to accept or reject any or all the tenders.

4- The interested Firms are required to deposit (in original) **Tender Fee of Rs.500/-** (Non-refundable) in the shape of Demand Draft prepared in favour of **ICAR UNIT -CSWRI ,Avikanagar payable at SBI, MALPURA may be addressed to the Administrative Officer, C.S.W.R.I., Avikanagar, Malpura, Distt. Tonk, Rajasthan Pin- 304501** on or before bid opening date and time as mentioned in the Critical Date Sheet.

5- The interested Firms are required to deposit (in original) and Earnest Money Deposit (EMD) of the amount mentioned against item in the form of Demand Draft/FDR from any of the Nationalised Bank **in favour of ICAR UNIT -CSWRI, Avikanagar payable at SBI, MALPURA** may be addressed to the Administrative Officer, C.S.W.R.I., Avikanagar,Malpura, Distt. Tonk, Rajasthan Pin- 304501 on or before bid opening date and time as mentioned in the Critical Date Sheet.

6- The firm should send the Original brochures of the product and may be addressed to the **Administrative Officer, CSWRI, Avikanagar, Malpura, Distt. Tonk, Rajasthan Pin- 304501 on or before bid opening date and time as mentioned in the Critical Date Sheet.**

7- Bidders need not be come at the time of Technical as well as financial bid opening at ICAR-CSWRI, Avikanagar. They can view live bid opening after login on CPP e-Procurement Portal at their remote and, If bidder wants to join bid opening event at ICAR-CSWRI, Avikanagar then they have to come with bid acknowledge slip that generates after successfully submission of online bid.

The Firms are also required to upload scanned copies of the following documents:

1. Scanned copy of Firm Registration certificate
2. Scanned copy of Pan card
3. Scanned copy of ESI and EPF Registration
4. Scanned copy of D.D. of Tender Fee
5. Scanned copy of D.D. of E.M.D.
6. Scanned copy of acceptance letter
7. **Scanned copy of atleast two year relevant work experience of AC repair in any department of Institute/Agency or company**

All necessary documents in support of the details for S.No. 1 to 7 must accompany the technical bid. The bid is liable to be rejected in case documents are not uploaded in the technical bid on CPP Portal, documents are incomplete or in case any certification/registration has already expired but is yet to be renewed. Only essential and necessary valid documents are to be uploaded in the technical bid. Please avoid uploading extraneous and irrelevant documents which unnecessary cause confusion.

Administrative Officer

निविदा प्रपत्र सूची

संस्थान के वातानुकूल स्पलीट ए.सी.,विन्डो ए.सी. (अनुमानित संख्या 162 जो कि कम या ज्यादा हो सकती है) के रख रखाव का वार्षिक अनुबंध कराने का कार्य :

संस्थान के विभिन्न विभागों/अनुभागों में स्थापित वातानुकूल स्पलीट ए.सी..विन्डो ए.सी. इत्यादि के रखरखाव व मरम्मत से संबंधित कार्य में प्रयुक्त होने वाले सामानों/पाटर्स का विवरणः

क्र0सं0	नाम वस्तु	
1.	सामान्य सर्विस (साफ सफाई लूज कनेक्शन, कटे जले वायर बदलना, आईलिंग, विधुत धारा चैक करना आदि)	रू प्रति ए0सी0 .
2.	फुल गैस रिफलिंग चार्ज	रू प्रति ए0सी0
3.	टॉपअप गैस रिफलिंग चार्ज	रू प्रति ए0सी0
4.	नया कम्प्रेशर रिपलेसमेन्ट चार्ज	रू प्रति ए0सी0
5.	कम्प्रेशर रिवांइडिग चार्ज	रू प्रति ए0सी0
6.	फैन मोटर रिवाइंडिग (ब्लोअर, कन्डनसर मोटर) चार्ज	रू प्रति ए0सी0
7.	रनिंग कैपेसिटर रिपलेसमेन्ट चार्ज	रू प्रति ए0सी0
8.	स्टॉटिंग केपेसिटर रिपलैसमेन्ट चार्ज	रू प्रति ए0सी0
9.	ए.सी. की रिले	रू प्रति ए0सी0
10.	ए.सी. की पी.सी0 युनिट	रू प्रति ए0सी0
11.	ए.सी. कोन्टेक्टर	रू प्रति ए0सी0
12.	कन्डेसर क्वाईल	रू प्रति ए0सी0
13.	ए.सी. फिल्टर	रू प्रति ए0सी0
14.	स्विंग मोटर	रू प्रति ए0सी0
15.	पी.वी.सी. फलैप	रू प्रति ए0सी0
16.	ए.सी. रिमोट	रू प्रति ए0सी0
17.	AC water Drain pipe PVE	रू प्रति ए0सी0
18.	आउटडोर फैन ब्लेड PVE विभिन्न साईज मोडल अनुसार	रू प्रति नग
19.	आउटडोर कोपर पाईप Thick size मोटा	रू प्रति मीटर
20.	आउटडोर कोपर पाईप Thick size पतला	रू प्रति मीटर

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैनें निविदा में दर्शायी गई सभी नियम व शर्ते भली–भांति पढ़ली है तथा मुझे पूर्णरूप से स्वीकार है। मैं यह भी वचन देता हूं कि मुझे व मेरे प्रतिनिधि को उपरोक्त निविदा प्रपत्र में द र्ाये गये सभी कार्यो का पूर्ण ज्ञान है। मैं उपरोक्त दर्शायी गई दरों पर **संस्थान के वातानुकूल स्पलीट ए.सी.,विन्डो ए.सी. (अनुमानित संख्या 162 जो कि कम या ज्यादा हो सकती है) के रख रखाव का वार्षिक अनुबंध कराने का कार्य** को अनुबन्ध/ठेके के आधार पर सम्पन्न करवाने के म में रेट कोन्टेक्ट/जॉब कोन्टेक्ट पर करने के लिये सहमत हूं मैं यह वचन देता हूं कि संस्थान द्वारा समय–समय उपरोक्त दर्शाये गये कार्य के अतिरिक्त कार्य करवाया जावेगा तो उक्त दर्शायी गई दरों पर संस्थान में कार्य करूंगा तथा मैं प्रभारी, आई. ई. यू अनुभाग या उनके प्रतिनिधि से समय–समय पर सम्पर्क करके उनके निर्देशानुसार अनुबन्ध कार्य करता रहूंगा। मैं अनुबन्ध कार्य में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करूंगा और संस्थान के अधिकारियों/कर्मचारियों से विनम्रता पूर्वक व्यवहार रखूंगा। यदि मेरे या प्रतिनिधियों द्वारा अनुबन्ध कार्य में किसी प्रकार का व्यवधान/हस्तक्षेप करने/या उनके द्वारा बताये जाने वाले कार्य को करने के लिये मना आदि करता हूं तो मेरे द्वारा जमा करवाई जाने वाली अमानत/जमानत राशि को जब्त करके अनुबन्ध को निरस्त किया जा सकता हैं जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी मेरी होगी।

यह भी वचन देता हूं कि मैं भारत/राजस्थान सरकार के प्रचलित सभी श्रमिक नियमों का पूर्ण रूप से पालन करूंगा तथा मेरे द्वारा लगाये गये सभी प्रतिनिधियों की मजदूरी का भुगतान समय–समय पर निर्धारित दैनिक मजदूरी की दर से करूंगा।

यह मेरे/हमारे संज्ञान में भली–भांति से है कि आपके द्वारा उपरोक्त कार्य हेतु प्राप्त निविदाओं में आप न्यूनतम अथवा किसी अन्य निविदाओं को स्वीकार करने हेतु बाध्य नहीं है एवं सक्षम अधिकारी द्वारा लिया गया निर्णय मुझे/हमें मान्य हैं। अनुबन्ध की अवधि समाप्त होने के उपरान्त मेरा व मेरे द्वारा लगाये गये प्रतिनिधियों का इस संस्थान से जॉब कोन्टेक्ट के अलावा कोई सम्बन्ध नहीं रहेगा और न ही मै किसी प्रकार का संस्थान के खिलाफ कोई कार्यवाही करूंगा।

दिनांक ––––––––

हस्ताक्षर ठेकेदार / फर्म प्रतिनिधि मय सील
पूरा पता
टेलीफोन / मोबाईल नं.

संस्थान के वातानुकूल स्पलीट ए.सी.,विन्डो ए.सी. (अनुमानित संख्या 162 जो कि कम या ज्यादा हो सकती है) के रख रखाव का वार्षिक अनुबंध कराने का कार्य विवरण :–

1. अनुबन्ध की अवधि में संस्थान के सभी कार्योलयों भवनों जैसे–प्रशासनिक भवन, एन.पी.बी. भवन, टी.एम.टी.सी विभाग, पुस्तकालय भवन, केन्टीन ब्लॉक, अभियान्त्रिक इकाई, आडोटोरिम, ीडाभवन, सुरक्षा अनुभाग, के.बी.काम्पलेक्स, भेड़ स्वास्थ्य विभाग, मांस विज्ञान, समाज सदन, सामुदायिक भवन, अतिथिगृह अविकानगर व जयपुर, शांपिग सेन्टर, पी.जी.हॉस्टल एवं समस्त सेक्टरों एटिक भवन, किसान हॉस्टल, फार्म अनुभाग, वर्कशाप, कच्चाबन्धा, न्यूटेशन लेब, फिजोलोजी लेब, प्लेटिंग प्लांट इत्यादि (वातानुकूल स्पलीट ए.सी. एवं विन्डों ए.सी. के यन्त्र लगभग 162 बिन्दु) में स्थापित स्पलीट ए.सी. एवं विन्डों ए.सी. के रख–रखाव रखना होगा। समयानुसार ए.सी. की संख्या कम या ज्यादा हो सकती है। साथ ही नये य किये जाने वाले ए.सी. भी इसमें शामिल होंगे।
2. उपरोक्त सभी ए.सी. की सर्विस व साफ सफाई प्रभारी, विद्युत एवं उपकरणीय अनुभाग के निर्देशानुसार वर्ष में एक बार करनी होगी।
3. अनुबन्ध की अवधि के दौरान किसी भी विभाग / अनुभाग में उपलबध ए.सी. में खराबी आने की स्थिति में तुरन्त ए.सी. चेक कर प्रभारी, विद्युत एवं उपरकणीय अनुभाग को सूचित करना होगा तथा उसमें आई खराबी से अवगत कराना होगा, तदुपरान्त प्रभारी के निर्देशानुसार ए.सी. ठीक करना होगा। उक्त प्रयोजनार्थ किसी भी प्रकार के परिवहन की आवश्यकता अनुबन्धकर्ता द्वारा वहन की जावेगी।
4. ए.सी. की मरम्मत में लगने वाले सामान / पार्ट्स / गैस की व्यवस्था अनुबन्धकर्ता को करनी होगी। जिसका भुगतान अनुबन्धकर्ता द्वारा वित्तीय निविदा में दर्शाये अनुसार किया जावेगा। साथ ही ए.सी. की मरम्मत में लगने वाले सामान / पार्ट्स संबंधित ए.सी. की कम्पनी के ऑरीजनल होने चाहिए। लोकल सामान / पार्टस स्वीकार नहीं किये जावेगें।
5. ए.सी. की मरम्मत में प्रयुक्त होने वाले सभी औजार / सामान अनुबन्धकर्ता के होगें। साथ ही उनकी सुरक्षा की सम्पूर्ण जिम्मेदारी अनुबन्धकर्ता की होगी।

कटौतियाक्

1. परिवहन साधन या मरम्मत कार्य में प्रयुक्त औजार (टूल्स) आदि की अनुपलब्धता के कारण शिकायत निवारण करने में देरी स्वीकार्य नहीं होगी। यदि समय पर (24 घंटें के अन्दर) शिकायत का निवारण नहीं किया जाता है तो 200 रूपये प्रतिदिन प्रति शिकायत के आधार पर अथवा उससे संस्थान में होने वाले किसी भी प्रकार के नुकसान की राशि जो भी अधिक होगी हर्जानें के रूप में अनुबन्धकर्ता से वसूल किया जावेगा अथवा बिल में कटौती की जावेगी।

<u>अनुबन्ध की सामान्य नियम व शर्तें:</u>

1. अनुबन्ध की अवधि कार्य आदेश जारी होने की तिथि से एक वर्ष के लिए होगी, जिसे संतोषप्रद कार्य होने पर सक्षम अधिकारी चाहे तो कम या अनुबन्धकर्ता की आपसी सहमति से वर्तमान दर व नियम शर्तो पर एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।
2. कार्य को अनुबन्ध पर करने के लिये उचित व न्यूनतम दर ही स्वीकार की जावेगी। साथ ही ए.सी. की मरम्मत हेतु लगने वाले पार्ट्स / सामान की दरें उचित / कम्पनी द्वारा निर्धारित किये अनुसार होनी चाहिए। इस संबंध में कम्पनी की पार्ट्स की लीफलेट्स भी संलग्न करें। साथ ही पेटी ठेका मान्य नहीं होगा।
3. ठेकेदार / प्रतिनिधि को अनुबन्ध की अवधि में संस्थान की सम्पत्ति को नुकसान से बचाना होगा। यदि कोई नुकसान / चौरी / क्षति पहुक्राई जाती है तो उसकी वसूली स्वयं ठेकेदार को नकद करनी होगी अन्यथा उनके देये बिल से काट ली जावेगी और अनुबन्ध निरस्त कर अमानत व जमानत राि जब्त कर ली जावेगी।
4. ठेकदार द्वारा वार्षिक अनुरक्षण के लिए उनके प्रतिनिधियों को वर्दी / जूते / नाम पट्टिका आदि पहनाना होगा।
5. अनुबन्ध कार्य में लगने वाले श्रमिको की आयु 18 वर्ष से कम तथा 60 वर्ष से अधिक नही होनी चाहिए। वे पूर्णरूपेण स्वस्थ होने चाहिये ।
6. **अनुबंधकर्त्ता को इस निविदा में वर्णित सभी कायों को करने के लिये 24 घण्टे सेवायें देनी होगी**
7. **ठेकदार को किसी भी संस्थान / ऐजेन्सी / कम्पनी में ए0सी0 रिपयेर करने का दो वर्षों का अनुभव होना चाहिए।**
8. ठेकेदार को संस्थान परिसर में प्रभारी अधिकारी द्वारा बताये जाने वालों स्थानों पर कार्य से संबंधित शिकायत पुस्तिका / लोग बुक रखनी होगी।

9. कार्य स्थल पर कार्य सम्पादन करने हेतु सभी साधन जैसे–गैस चार्ज करने के औजार, चढने हेतु सीडी, चोपाचा स्टूल, रस्सा आदि मरम्मत में प्रस्तुत किये जाने वाले समस्त औजार (टूल्स) आदि अनुबंधकर्ता के स्वंय के होगे संस्थान द्वारा किसी भी प्रकार का साधन उपलब्ध नहीं करवाया जावेगा।
10. ठेका समयावधि के दौरान संस्थान के समस्त स्थापित वातानुकूल स्पलीट ए.सी.एवं विन्डों ए.सी. को चालू रखने का उत्तरदायित्व स्वयं ठेकेदार का होगा। इसके लिये ठेकेदार को उचित अभिलेखन/रिकार्ड रखना होगा।
11. शिकायत दूर करने में लगाये जाने वाले सामान का विवरण विभागों/अनुभागों अनुसार रखना होगा। गारन्टी/वारन्टी अवधि वाले नये AC प्रभारी, विधुत एवं उपकरणीय अनुभाग/प्रतिनिधि के निर्देशानुसार करने होगे।
12. ठेकेदार द्वारा बिना वैधानिक लाइसेंस वाले प्रतिनिधियों को अनुरक्षण/रिपेयर कार्य हेतु नहीं लगाया जावेगा।
13. ठेकेदार प्रतिनिधि को अलग से कार्य की डायरी रखनी होगी। जिस संबंधित शिकायत कर्ता/प्रभारी से कार्य संबंधी शिकायत दूर कर हस्ताक्षर कराने होगें।
14. ए.सी. के अनुरक्षण संबंधी बिल का भुगतान ठेकेदार द्वारा संतोषजनक कार्य करने पर प्रभारी, विद्युत एवं उपकरणीय अनुभाग को प्रति माह बिल (तीन प्रतियों में) प्रस्तुत करना होगा, जिसका भुगतान मासिक आधार पर नियमित समय पर किया जाएगा।
15. सफल ठेकेदार स्वंय की देखरेख में अनुबन्ध का कार्य करने के लिये कार्य आदेश प्राप्त करने से पूर्व लिखित में वचन (under taking) देना होगा की वे स्वंय रोजाना प्रभारी, विद्युत एवं उपकरणीय अनुभाग से सम्पर्क करेगें तथा अनुबन्ध का कार्य प्रभारी अधिकारी के दिशा–निर्देशानुसार सुचारू–रूप से करते रहेगें ऐसा नहीं होने पर ठेका निरस्त किया जा सकता है साथ ही उनके द्वारा जमा करवाई जाने वाली अमानत/जमानत राशि को भी जब्त किया जा सकता हैं।
16. अनुबन्ध की अवधि के दौरान ठेकेदार एवं उनके प्रतिनिधियों द्वारा संस्थान के कर्मचारियों/अधिकारियों के साथ शिष्टता का व्यवहार करना होगा।
17. श्रमिकों के बारे में निर्धारित रजिस्टर/मस्टरोल आदि का रख–रखाव स्वयं ठेकेदार को करना होगा तथा लगाये गये श्रमिकों का GPF/PF/ESI इत्यादि यदि नियमानुसार देय होता है तो ठेकेदार द्वारा स्वयं के देय बिल राशि से देना होगा। संस्थान द्वारा इस विषय में कोई भी अलग से भुगतान का दावा स्वीकार नही करेगा। इस प्रकार का निस्तारण ठेकेदार स्वयं अपने स्तर पर करेगा।
18. संबंधित वित्तीय वर्श में या समय–समय पर होने वाले सं ाोधन के अनुसार ठेकेदार के देय मासिक बिल में से नियमानुसार जी.एस.टी./आयकर (G.S.T. /Income Tax) एवं उस पर लगने वाले सरचार्जेज रा ि की भी कटौती की जावेगी।
19. ठेकेदार को अनुबन्घ की अवधि में भारत सरकार के प्रचलित श्रमिक कानूनों का पालन करना होगा। भारत सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत समय–2 पर निर्धारित दर से भुगतान करना होगा। श्रमिक को भुगतान करने की जिम्मेदारी स्वयं ठेकेदार की होगी। साथ ही बाल श्रमिक कानून का पूर्ण पालन करना होगा।
20. ठेकेदार द्वारा जिन प्रतिनिधियों को अनुबन्ध कार्य हेतु नियुक्त किया जावेगा उनका परिचय–पत्र ठेकेदार द्वारा स्वयं बनाकर फोटो युक्त परिचय–पत्र अधिकृत अधिकारी (सुरक्षा अनुभाग) से जारी करवाकर विद्युत एवं उपकरणीय अनुभाग अनुभाग में प्रस्तुत करना होगा। परिचय–पत्र का व्यय स्वयं ठेकेदार को वहन करना होगा। प्रतिनिधियों को फोटो (पहचान–पत्र) आव यक होगा। साथ ही प्रतिनिधियों का नाम, पता व मोबाईल नम्बर इत्यादि प्रभारी को उपलब्ध कराना होगा।
21. अनुबन्ध कार्य के दौरान किसी प्रकार की दुर्घटना हो जाने पर ठेकेदार/उनके प्रतिनिधि स्वयं जिम्मेदार होगें तथा सभी प्रकार की कानूनी कार्यवाही अपने स्तर पर स्वयं के खर्चे पर करनी होगी। तथा संस्थान द्वारा किसी भी प्रकार की सहायता/क्षतिपूर्ति रा ि नही दी जावेगी। अतः अनुबन्धकर्ता अनुबन्ध मिलने के साथ ही उसके अधीन कार्य करने वाले सभी कार्मिकों का बीमा अव यक करवा लें।
22. आप द्वारा जमा करवाई गई जमानत रा ि अनुबन्ध कार्य सन्तोषजनक पूरा होने के उपरान्त 2 माह बाद वापिस देय होगी। यदि अनुबन्ध के दौरान आपका कार्य किसी भी प्रकार से असन्तोषजनक पाया गया तो आप द्वारा जमा करवाई गई जमानत रा ि को जब्त कर लिया जावेगा।
23. श्रमिक नियमों के अनुसार समस्त अभिलेख ठेकेदार को तैयार कराना होगा तथा किसी भी अधिकारी द्वारा माड्ढने पर प्रस्तुत करना होगा।
24. सभी विवादों को निपटाने का क्षेत्राधिकार अविकानगर, मालपुरा होगा। किसी भी प्रकार का विवाद होने की स्थिति में अन्तिम निर्णय देने का अधिकार निदे ाक केन्द्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान संस्थान, अविकानगर, तहसील मालपुरा, जिला टोंक, राजस्थान को होगा। जिसे ठेकेदार/फर्म/एजेन्सी/कम्पनी द्वारा मान्य होगा।
25. यह कार्य केवल अनुबन्ध की प्रकृति (जॉब कोन्टेक्ट के आधार पर) के लिये ही माना जावेगा। ठेके की अवधि व उसके उपरान्त ठेकेदार अथवा उसके प्रतिनिधि का जॉब कान्टेक्ट कार्य के अतिरिक्त संस्थान से कोई सम्बन्ध नहीं रहेगा।
26. संस्थान कें सक्षम अधिकारी को बिना कोई कारण बतायें किसी भी समय जारी अनुबन्ध आदे ा को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित है।
27. सफल ठेकेदार को 100/– रूपये के नॉन ज्यूडि ायल स्टाम्प पेपर पर कार्य को अनुबन्ध पर करने के लिये एग्रीमेन्ट देना होगा, जिसका प्रारूप य अनुभाग से प्राप्त करना होगा।

28. संस्थान के सक्षम अधिकारी महोदय को बिना कोई कारण बताये किसी भी एक/सभी निविदाओं को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित है।

29. यह सूचना इस संस्थान की वेबसाईट www.cswri.res.in & e-procure.gov.in पर उपलब्ध है।